Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

मोहनलाल उर्फ आसूराम आदि —बनाम— स्टेट

न0 ....

किस्म मुकदमा :— 75 एलआरए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29/5/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैंप कतरियासर पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी राज्य की ओर से तहसीलदार बीकानेर उपस्थित। प्रार्थी का कथन है कि इस प्रार्थना—पत्र के संबंध में गत वर्ष आयोजित न्याय आपके द्वार कैंप कतरियासर में शिविर प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात की फोटो प्रतियां पेश की तथा साथ ही आधार कार्ड व राशन कार्ड की चित्र प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी है जिसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम मोहनलाल है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के नाम की शुद्धि करने का आदेश तहसीलदार बीकानेर को दिया जावे। राज्य की ओर से उपस्थित तहसीलदार बीकानेर प्रार्थी के कथनों से सहमत नहीं है ऐसी स्थिति में लोक अदालत के मध्य से निस्तारण किया जाना संभव प्रतीत नहीं होत रहा है। तथ्य इस बात के आये हैं कि प्राथी का नाम विरासतन नामान्तरकरण संख्या 217 में हिं आसूराम अंकित है जो लिपिकीय भूलवष से ही गयी गलती नहीं है। लेकिन इस प्रार्थना—पत्र को धारा 75 एलआरए के तहत माना जाकर हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील मुख्य रूप से अपना नाम इन्तकाल संख्या 219 में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा गांव में प्रचलित घरेलू नाम आसूराम पुत्र पदमाराम दर्ज किये जाने से दुरूस्ती करने हेतु प्रस्तुत की है। अपील के साथ भारत सरकार द्वारा उसके पक्ष में जारी आधार कार्ड की प्रति, ग्राम पंचायत कतरियासर द्वारा जारी पहचान प्रमाण—पत्र की प्रति,	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

भारत निर्वाचन आयोग का पहचान–पत्र एंव राशन कार्ड प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में हम पत्रावली तहसीलदार, बीकानेर को प्रति प्रेषित कर यह आदेश देना उचित समझते हैं कि अपीलांट का नाम आसूराम के स्थान पर मोहनलाल लिख दिया गया की जांच करते हुवे पुनः इन्तकाल की कार्यवाही की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, बीकानेर को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेशित इन्तकाल संख्या 219 में अपीलांट का नाम आसूराम के स्थान पर मोहनलाल लिख दिया गया की जांच करते हुवे अपीलांट को सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुवे बाद जांच इन्तकाल के संबंध में पुनः विधि सम्मत निर्णय लिया जावे। तहसीलदार, बीकानेर को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि इन्तकाल की कार्यवाही यथा संभव 1 माह में पूरी करने का प्रयास किया जावे। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार, बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 29/5/18 को सुनाया गया।

(नानूराम सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner